न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 6/2021

पृथ्वीराजसिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तहसील मांगरोल ......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा निर्णय दिनांक : 21.10.2021

दायरा दिनांक: 11.01.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 134 रकबा 2.34 है0, खसरा नं0 136 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 203 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 213 रकबा 2.54 है0, खसरा नं0 217 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह के स्थान पर राजसिंह पुत्र बिरधासिंह दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह है। जिसको वादी राजसिंह पुत्र बिरधासिंह के स्थान पर पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते, भामाशाह कार्ड आदि में पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में राजसिंह पुत्र बिरधासिंह के स्थान पर पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राजसिंह पुत्र बिरधासिंह के स्थान पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/213 दिनांक 19.04.2021 के जिसके अनुसार राजसिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत को पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति राजसिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत व पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

... राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम राजसिंह पुत्र बिरधासिंह के स्थान पर पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व लक्ष्मीकंवर बाई पुत्री बिरधासिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ के आधार पर आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 134 रकबा 2.34 है0, खसरा नं0 136 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 203 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 213 रकबा 2.54 है0, खसरा नं0 217 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम राजसिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत के स्थान पर पृथ्वीराज सिंह पुत्र बिरधासिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner